पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1/प्रा०आ०–0–3–17/13–111(सा०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 14.02.2014 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–101–अनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष–0003–**संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड–एन० 2245021010003** मद् में कुल 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2013–14 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मांग संख्या–39, विषय शीर्ष–31 06–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा

(राशि :– लाख रूपये में)

क्रमांक	उपावंटित पदाधिकारी का विवरण	पूर्व उपावंटन	वर्त्तमान उपावंटन	योग
01.	अंचल अधिकारी, पटना सदर	0.00	1.50	1.50
	कुल उपावंटित राशि	**0.00**	**1.50**	**1.50**

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उपमुख्य शीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–101–अनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष–0003– **संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड–एन० 2245021010003** मद् में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. उपावंटित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राकृतिक आपदा (बाढ़) के कारण सर्पदंश से मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान भुगतान मद् में किया जायेगा, जिसकी स्वीकृति अंचल कार्यालय, पटना सदर के अनुग्रह अनुदान अभिलेख संख्या 02/2013–14 में प्रदत्त की गई है। अंचल अधिकारी, पटना सदर को निदेश दिया जाता है कि स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत सर्पदंश से मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में देय राशि का भुगतान करेंगे तथा इसकी सूचना अविलंब इस कार्यालय को भी देंगे।
3. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय–सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।

4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[बी० (2)] दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2014 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे। अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-10/2013-14 302 /आ०प्र०, दिनांक 12/03/14

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, पटना सदर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।
प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।

Awantan.docx